Internal IDBT

378. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of burgeoing internal debt and other liabilities of the Central Government; and

(b) the corrective financial measures proposed to ourtail the growth of Government debt?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDABRARAM): (a) The internal debt and other liabilities at the end of 1995-96 (RE) were as under:—

	(Rs. crore)
(i) Internal debt (Market loans, Treasury Bills, Relief Bonds etc.)	303358.86
(ii) Other liabilities (Small Savings Schemes, Provident Funds, Reserve Funds and Deposits etc).	249685.31

(b) The Government would endeavour to contain the fiscal deficit (additional borrowings) in the current year at 5% of GDP by increasing receipts and contralling expenditure.

एयर इंडिया को प्रतिदिन हुआ औसतन घाटा

379. प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री नीलोत्पल बसु:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया को इस वर्ष के पहले छः महीने में प्रतिदिन औसतन एक करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) क्या एयर इंडिया का कैश रिजर्व 1150 करोड़ रुपए से कम होकर 250 करोड़ रुपए रह गया है;

(ग) अनेक वर्षों तक लाभ कमाने के बाद एअर इंडिया को पिछले वर्ष से घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इसे पुनः लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰एम॰ इब्राहीम): (क) अप्रैल से सितम्बर, 1996 तक की अवधि के लिए एअर इंडिया का अनुमानित घाटा 195 करोड़ रुपए है।

(ख) 31 मार्च, 1995 को, एअर इंडिया की नगद और बैंक में शेष राशि 966.46 करोड़ रुपए थी और 31 मार्च, 1996 को, यह 490.64 करोड़ रुपए थी।

(ग) नए विमानों पर ब्याज और मूल्य ह्रास, प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि के कारण आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग और दिक्चालन प्रभारों में वृद्धि के कारण व्यय में बढ़ोत्तरी, इंजीनियरों के आंदोलन आदि के कारण हानि हुई।

(घ) वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए एअर इंडिया अपने मार्किट प्रयासों को सघन बनाने, क्षमता में वृद्धि करने, गैर-प्रचालन लागतों को घटाने तथा अपने उत्पाद, छवि और समय पर कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए कदम उठा रहा है।

हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

380. **श्री रामजीलाल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड क्या हैं;

(ख) हरियाणा में कितने गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं और सरकार ने अन्य गांवों में ऐसे केन्द्र खोलने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) अनुमोदित मानकों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000 जनसंख्य पर और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रति 20,000 जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ग्राम स्तर के ब्यौरे नहीं रखती। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किए जाते हैं।

(ग) विगत दो वर्षों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए राज्यवार प्रावधान (जिसमें उपकेन्द्रों के निर्माण पर व्यय भी शामिल है) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

(लाख रु०)

	राज्य	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	750.00	500.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	339.00	448.00
3.	असम	1890.00	2048.00
4.	बिहार	996.00	2400.00
5.	गोवा	189.00	170.00
6.	गुजरात	1718.00	2280.00
7.	हरियाणा	900.00	1069.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1344.00	1400.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1662.00	1946.00
10.	कर्नाटक	3438.00	3168.95
11.	केरल	0.00	0.0
12.	मध्य प्रदेश	3921.13	2919.00
13.	महाराष्ट्र	4884.00	7034.00
14.	मणिपुर	225.00	231.50
15.	मेघालय	535.00	946.00
16.	मिजोरम	273.08	400.00
17.	नागालैंड	95.00	311.00
18.	उड़ीसा	909.57	1293.00
19.	पंजाब	854.08	819.00
20.	राजस्थान	1296.00	7504.00
21.	सिक्किम	101.00	184.80
22.	तमिलनाडु	2679.00	2831.00
23.	त्रिपुरा	450.00	345.00
24.	उत्तर प्रदेश	3976.00	5098.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00	500.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	372.00	330.00
2.	चंडीगढ़	90.00	119.56
3.	दादरा व नगर हवेली	38.00	45.00
4.	दमण व दीव	45.00	50.00
5.	दिल्ली	0.00	0.00
6.	लक्षद्वीप	48.32	39.35
7.	पांडिचेरी	175.00	214.00
	कुल	36793.00	46644.16

Deregulating Interest Rates for Agricultural Credit

381. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in order to ease out the credit crunch for the agricultural sector, Government propose to deregulate the interest rates for agricultural credit;

(b) whether low disbursement of credit to the farm sector during the last few years has been considered to be mainly responsible for the sharp decelatation in agriculture production; and

(c) what is Government's assessment about the gap between demand and supply of credit to agricultural sector during 1993-94, 1994-95, 1995-96 and the current year, and how it was reflected in decline in agricultural production during these years?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) As per extant directions of Reserve Bank of India (RBI), the rate of interest chargeable by Comercial Banks in respect of advances (except export credit and some other advances) are based on the